श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड़-२४९१९९
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांकः– 722 / कु0का0 / एसडीएसयूवी / 2025 दिनांकः 06 मई, 2025

कार्यालय ज्ञाप

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राजकीय विश्वविद्यालयों में परीक्षा सुधार एवं संचालन के सम्बन्ध में दिनांक 25 अप्रैल, 2025 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं–

1. वर्तमान सेमेस्टर की आगामी परीक्षाओं के संचालन हेतु शुचिता एवं अनुशासन की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र (शासकीय संस्थान / निजी संस्थान) के प्रत्येक परीक्षा कक्ष में अनिवार्य रूप से आई०पी० बेस्ड सी०सी०टी०वी कैमरे लगाए जाएं तथा उसका एक्सेस विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा नियमित मॉनीटरिंग की जाय। उक्त कैमरों में परीक्षा संचालन का वीडियो रिकार्डिंग आगामी तीन माह तक अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखा जाय।
2. आई०पी० बेस्ड सी०सी०टी०वी कैमरे के बिना किसी भी परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में परीक्षा कराने की अनुमति नहीं होगी, उक्त का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
3. किसी भी परीक्षा केन्द्र पर मास चीटिंग की शिकायत एवं प्रमाण प्राप्त होने पर संबंधित संस्था के संस्थाध्यक्ष सहित उत्तरदायी अधिकारियों पर यथोचित कार्यवाही करते हुए संस्थान को परीक्षा केन्द्र के रूप में आगामी परीक्षाओं के संचालन से रोकते हुए परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जाएगा तथा मास चीटिंग का प्रमाण पाए जाने पर संस्थान की मान्यता रद्द करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
4. आंतरिक मूल्यांकन किसी भी बात का पूरे सत्र में उनकी उपस्थिति पठन–पाठन में प्रगति विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता आदि के आधार पर 360 डिग्री मूल्यांकन है। वर्तमान सत्र में छात्रों की कक्षाओं में उपस्थिति (उपस्थिति हेतु कक्षाओं में ली गयी मोबाइल सेल्फी) के आधार पर संबंधित विषय में आंतरिक परीक्षाओं हेतु अधिकतम उतने ही प्रतिशत अंक दिए जाएं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र/छात्रा की संबंधित विषय में 50 प्रतिशत उपस्थिति है तो आंतरिक परीक्षाओं में उसे अधिकतम 50 प्रतिशत अंक ही दिया जाय। छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन / प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के साथ उसकी उपस्थिति भी अंकित की जाय तथा संबंधित फोटो युक्त उपस्थिति (उपस्थिति हेतु कक्षाओं में ली गयी मोबाइल सेल्फी) का प्रमाण भी संबंधित शिक्षक द्वारा संरक्षित रखा जाय।
5. बिना उपस्थिति प्रमाण के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन का अंक दिए जाने पर संबंधित शिक्षक के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव,

।।। कार्यालय श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल टिहरी गढवाल।।।

संख्या—722/कु0का0/एसडीएसयूवी/2025 दिनांक— 06 मई, 2025

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. उप कुलसचिव/लोक सूचना अधिकारी।
5. सहायक परीक्षा नियन्त्रक व्या0/वित्त।
6. प्राचार्य/निदेशक, राजकीय/अशासकीय/निजी शिक्षण संस्थान सम्बद्ध श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वैबसाईट हेतु।
8. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव